

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-692 / 2012संस्थित दिनांक-04.09.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. गुड्डू उर्फ अब्दुल पुत्र काले खां उम्र 40 साल

निवासी नये बस स्टैण्ड के पास गोहद

2. आलोकसिंह पुत्र सुन्दरसिंह चौहान उम्र 37 साल

निवासी पडाव के सामने ग्वालियर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 29.12.17 को घोषित}

1. अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 174 क के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि वे दिनांक 18.01.12 को थाना गोहद के अप0क्र0 160/11 भादवि0 की धारा 376 में न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने हेतु उद्घोषणा जारी की गयी थी, इसके बावजूद भी वे अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान व समय पर हाजिर होने में असफल रहे।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रस्तुत मामला अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोहद के थाना प्रभारी गोहद को प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु जारी ज्ञापन दि0 20.01.2012 से उद्भूत हुआ जिसके अनुसार थाना गोहद के अप0क्र0 160/2011 अंतर्गत धारा 376, 456, 323 भादवि0 एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) 5 में अभियुक्तगण गुड्डू उर्फ अब्दुल तथा आलोकसिंह को न्यायालय द्वारा धरा 82 के अधीन जारी उद्घोषणा दिनांक 20.12.2011 के अनुसार दिनांक 18.01.12 को उपस्थित होना था किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए इस कारण से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने व अन्वेषण किए जाने हेतु निर्देश दिया गया। उक्त ज्ञापन के आधार पर अप0क्र0 17/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान न्यायालय जेएमएफसी गोहद के आदेश दिनांक 16.12.11 की प्रमाणित प्रति ली गयी, कथन लेखबद्ध किए गए, दस्तावेज संलग्न किए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या दिनांक 18.01.12 को थाना गोहद के अप०क्र० 160/11 भादवि० की धारा 376 में न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने हेतु उद्घोषणा जारी की गयी थी?
2. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक 18.01.2012 को न्यायालय गोहद में उक्त उद्घोषणा के पालन में हाजिर होने में असफल रहे ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में यू०एन०एस० परिहार अ०सा० 1, रामनिवाससिंह अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

**—:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष ::—**

6. प्रकरण में अभियुक्तगण पर मूल रूप से इस तथ्य का आरोप है कि उनके द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद के द्वारा दिनांक 18.01.2012 को उपस्थिति हेतु जारी उद्घोषणा के अनुपालन में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अभियुक्तगण का मूल रूप से यह बचाव है कि उक्त उद्घोषणा का कोई प्रकाशन नहीं कराया गया इस कारण से प्रकरण में वे उपस्थित नहीं हो पाए। अभियोजन की ओर से उक्त अधिसूचना के संबंध में रामनिवास सिंह असा 02 यह कथन करता है कि न्यायालय ने दिनांक 16.12.2011 को अभियुक्तगण के संबंध में आदेश जारी किया गया था। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 6 के रूप में बतायी है। न्यायालय जे.एम.एफ.सी. गोहद के अपराध क्रमांक 160/11 में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2011 को अभियुक्तगण के संबंध में उद्घोषणा जारी की किये जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति के रूप में अभिलेख पर है जिसके माध्यम से दि० 18.01.2012 को उद्घोषणा का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु तिथि नियत की गयी थी। प्रकरण में उक्त उद्घोषणा का प्रारूप प्रपी 3 के रूप में रामनिवास असा० 2 द्वारा बताया गया है। उक्त उद्घोषणा प्रारूप के अनुसार उद्घोषणा दिनांक 20.12.2011 को जारी की गयी थी जो कि न्यायालय में अभियुक्त आलोक सिंह की उपस्थिति हेतु दिनांक 18.01.2012 को नियत की गयी थी।

7. फरारी की उद्घोषणा के संबंध द०प्र०सं० 1973 की धारा 82 की उपधारा 3 निम्नानुसार उपबंध करती है—

“उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषण विनिर्दिष्ट दिन उपधारा (2) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गयी है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषण उस दिन प्रकाशित कर दी गयी थी।”

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि न्यायालय के द्वारा इस बात की संतुष्टि कर लिये जाने का आदेश कि उद्घोषणा सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गयी, निश्चायक साक्ष्य के रूप में प्रभावी होगा अर्थात् उसके संबंध में अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

8. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय को ऐसा कोई लिखित कथन अर्थात् आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अभिकथित उद्घोषणा के अनुरूप प्रकाशन किये जाने के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि का कथन करता हो प्रपी 6 की ओदश पत्रिका से यह स्पष्ट है कि दिनांक 16.12.2011 के आदेश के उपरांत उद्घोषणा का पालन प्रतिवेदन दिनांक 18.01.2012 को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किंतु दिनांक 18.01.2012 को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ और तत्पश्चात् दिनांक 27.01.2012, 08.02.2012 तथा 17.02.2012 नियत की गयी, किंतु उक्त दिनाकों को भी कोई पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ। इस प्रकार से प्रकरण में अभिलेख पर द0प्र0सं0 की उपधारा 3 के अधीन उद्घोषणा के संबंध में निश्चायक साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी दशा में अभियोजन को उद्घोषणा के सम्यक रूप से प्रकाशन किये जाने के संबंध में अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। उक्त अन्य साक्ष्य के संबंध में अभियोजन की ओर से पंचनामा चरपा नोटिस प्रपी 4, पंचनामा प्रपी 5 प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त पंचनामे के संबंध में अभियोजन साक्ष्य रामनिवास सिंह अ0सा0 2 द्वारा कथन किया गया है।

9. रामनिवास सिंह अ0सा0 2 प्रपी 4 व 5 के संबंध में कथन करते हैं कि वे पंचनामे उन्होंने नहीं बनाये थे। कंडिका 2 में यह कथन करते हैं कि उक्त पंचनामे की कार्यवाही एस.डी.ओ.पी. द्वारा की गयी थी। साक्षी इसी कंडिका में बताते हैं कि उन्होंने एस.डी.ओ.पी. साहव से उक्त पंचनामों के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की और न ही एस.डी.ओ.पी. प्रपी 4 व 5 के पंचनामे की कार्यवाही उनके समक्ष की गयी। प्रकरण में कथित कार्यवाही के निष्पादनकर्ता तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया और न ही प्रपी 4 व 5 के साक्षी सुनील राठौर, अशोक जैन, वीरेन्द्र सिंह चौहान तथा वीरेन्द्र वर्मा को परीक्षित कराया गया। प्रपी 4 व 5 के दस्तावेज पंचनामे अभियुक्त आलोक चौहान की उद्घोषणा के संबंध में है। अभियोजन के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अभियुक्त आलोक चौहान का पता पड़ाव के सामने ग्वालियर अभियोगपत्र में लेख किया गया है। प्राथमिकी प्रपी 2 एवं प्रपी 6 के न्यायालय के आदेश पत्रिका में भी अभियुक्त आलोक चौहान का पता पड़ाव के सामने ग्वालियर लेख किया गया है जबकि प्रपी 4 का पंचनामा उस पर लिखे तथ्यों अनुसार गोहद बस स्टैण्ड पर चरपा किये जाने तथा दूसरा पंचनामा प्रपी 5 केन्द्रीय विद्यालय इच्छानाथ नंबर 01 सूरत में प्रकाशित किये जाने के संबंध में लेख है। ऐसी दशा में उक्त पंचनामों के निष्पादनकर्ता एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा अभिपुष्टि के बिना प्रपी 4 व 5 की कार्यवाही स्वयं प्रमाणित नहीं हो जाती है।

10. जहां उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त आलोक चौहान के संबंध में उद्घोषणा प्रपी 3 का विधिवत सम्यक रूप से प्रकाशन का तथ्य अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है वहीं दूसरी ओर अभियुक्त गुड्डु उर्फ अब्दुल खां के संबंध में कोई भी उद्घोषणा जारी की गयी हो इस संबंध में उद्घोषणा प्रारूप व पंचनामा आदि कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जहां तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है साक्षी रामनिवास असा0 2 प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में कथन करता है कि उसने अभियुक्तगण के घर के आसपास के लोगों से मुनादी एवं नोटिस चस्पा की जानकारी ली थी, किंतु यह स्वीकार करते हैं कि जिन लोगों से उसने पूछताछ की थी उन लोगों के उसने कोई कथन नहीं लिये थे। साक्ष्य यह भी बताने में असमर्थ है कि उन लोगों के नाम क्या थे। जहां एक ओर साक्षी उद्घोषणा के प्रकाशन की जानकारी लिये जाने का तथ्य बताता है वहां प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है कि कथित वह इस मामले के संबंध में म0प्र0 के बाहर गया है या नहीं जबकि प्रपी 5 का पंचनामा स्वयं अभियोजन का दस्तावेज है जिसके अनुसार उसका प्रकाशन सूरत गुजरात में लेख किया जाना दर्शाया गया है।

11. प्रकरण में यू.एन.एस. परिहार असा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में थाना प्रभारी गोहद में रूप में पदस्थ होने का कथन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पत्र के आधार पर अपराध क्रमांक 160/11 में वांछित अभियुक्तगण के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किये जाने का कथन करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उक्त उद्घोषणा दिनांक 20.12.2011 को जारी हुई थी जिसके पालन में अभियुक्तगण उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में यहां द0प्र0सं0 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन उद्घोषणा प्रकाशन की रीति का उपबंध किया गया है जिसके अनुसार उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से कम से कम 30 दिवस के पश्चात की तिथि नियत की जाती है। उक्त 30 दिवस की अवधि के संबंध में यू.एन.एस. परिहार असा0 1 का कथन महत्वपूर्ण है जो दिनांक 20.12.2011 को उद्घोषणा जारी होना बताते हैं। प्रपी 3 का उद्घोषणा प्रारूप भी उक्त साक्षी के कथन का समर्थन करता है जिसके अनुसार दिनांक 20.12.2011 को उद्घोषणा जारी की गयी और उपस्थिति के लिए दिनांक 18.01.2012 नियत की गयी। इस संबंध में अभियुक्तगण की ओर से न्याय दृष्टांत विरदधन विरुद्ध राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 1958 राजस्थान 167 पर आस्था व्यक्त की है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 30 दिवस की अवधि को आज्ञापक प्रावधान बताया है और उक्त प्रावधान के अनुसार 30 दिवस की अवधि का समय न देने पर ऐसी उद्घोषणा के प्रारंभ से शून्य होने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस मामले में स्वयं अभियोजन की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त अधिसूचना 30 दिवस की अवधि से कम समय के लिए प्रकाशन का तथ्य दर्शाती है।



12. प्रकरण में प्रपी3 के आदेश में उक्त उद्घोषणा को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने के संबंध में भी आदेशित किया गया है। प्रकरण में उद्घोषणा के संबंध में पेपर की कटिंग की छायाप्रति को प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में विवेचक रामनिवास सिंह असा0 2 स्वीकार करते हैं कि पेपर कटिंग से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह किस अखबार की है, साथ ही उक्त समाचार पत्र की प्रति संलग्न नहीं किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन होने का तथ्य सारवान साक्ष्य से अभिपुष्ट व प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार से प्रकरण में सर्वप्रथम तो अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण को दिनांक 18.01.2012 को न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद में समक्ष प्रस्तुत होने हेतु किसी उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया।

**--:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष ::--**

13. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के विवेचन में यह तथ्य अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 18.01.2012 को न्यायालय गोहद में उपस्थित होने के लिए कोई उद्घोषणा प्रकाशित की गयी थी। जहां उक्त उद्घोषणा का प्रकाशन सम्यक रूप से प्रमाणित नहीं है तो ऐसी दशा में अभियुक्तगण को न्यायालय के आदेश की जानकारी रही हो ऐसा अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है। संहिता की धारा 174क उस दशा में गठित होती है जबकि द0प्र0सं0 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट समय पर कोई व्यक्ति उपस्थित रहने में असफल रहा हो। चूंकि उक्त उद्घोषणा अभियुक्तगण के संबंध में न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2011 के अनुसार जारी की गयी थी, किंतु उसका प्रकाशन उक्त आदेश के अनुसार हुआ, यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को उक्त नियत दिनांक 18.01.2012 को न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद के समक्ष उपस्थित न हो पाने के संबंध में अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 174क के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्तगण के जमानत उन्मोचित की जाती है। उनके निवेदन पर उनके बंधपत्र निर्णय दिनांक से 6 माह तक द0प्र0सं0 की धारा 437ए के अधीन प्रभावी रहेंगे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

15. प्रकरण में अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो तो, उसके संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 के अधीन प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किये जायें।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अनिवार्य)

सामान्य जानकारी हेतु  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अनिवार्य)